

भारत सरकार  
कर्मचारी चयन आयोग (पूर्वी क्षेत्र)  
कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय  
निजाम पैलेस, प्रथम एमएसओ भवन (8वां तल)  
234/4, एजेसी बोस रोड, कोलकाता -700020

Government of India  
Staff Selection Commission (ER)  
Ministry of Personnel, Public Grievances &  
Pensions, Nizam Palace, 1<sup>st</sup> M.S.O. Building  
(8<sup>th</sup> Floor), 234/4, A.J.C. Bose Road, Kolkata  
- 700020

### सूचना

विषय: विषय: चरण-XIII/2025/चयन पद के अंतर्गत पद श्रेणी ER11625 के तहत, पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के दीपस्तंभ एवं दीपपोत निदेशालय में नेविगेशनल असिस्टेंट-ग्रेड-II के पद हेतु भर्ती के संबंध में अभ्यर्थियों की संवीक्षा (Scrutiny) स्थिति; कुल 01 रिक्ति (01-अनारक्षित), वेतन स्तर-06, समूह 'बी' (अराजपत्रित) संबंधी।

चरण-XIII/2025/चयन पदों के अंतर्गत पद श्रेणी संख्या ER11625 के माध्यम से विज्ञापित, पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अधीन दीपस्तंभ एवं दीपपोत निदेशालय में नेविगेशनल असिस्टेंट-ग्रेड-II के पद हेतु कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अनंतिम रूप से अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्रों एवं उनके द्वारा प्रस्तुत सहायक दस्तावेजों की, विज्ञापन सूचना में उल्लिखित आवश्यक शैक्षिक योग्यता(ओं) तथा भर्ती से संबंधित अन्य प्रासंगिक नियमों एवं शर्तों के आधार पर संवीक्षा की गई। उक्त संवीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों की प्रारंभिक संवीक्षा स्थिति दिनांक 11.05.2026 को एसएससी (पूर्वी क्षेत्र) की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी तथा अभ्यर्थियों से उनकी अनर्हता/अस्वीकृति के आधार के संबंध में, यदि कोई अभ्यावेदन हो, तो उसे दिनांक 21.05.2026 (रात्रि 23:00 बजे) तक प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया था। अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों पर उपयोगकर्ता विभाग द्वारा विचार किया गया तथा और उचित विचार-विमर्श के पश्चात निम्नलिखित अभ्यर्थियों के नामों को "अंतिम अनिवार्य योग्यता स्वीकृत सूची" में शामिल किया गया है:

Sl. No	Registration No.	Roll No.	Name of Candidate	Category
1.	10021995651	8007302446	Doddi Manoj Durga Pavan Kumar	OBC
2.	10000980402	1203300582	Praveen Kumar	OBC
3.	10011220563	3206310915	Rahul Kumar Jha	UR

2. अभ्यर्थी ध्यान दें कि इस सूची में नाम सम्मिलित किए जाने मात्र से उनकी पात्रता पूर्णतः सुनिश्चित नहीं हो जाती है। अभ्यर्थियों को उपयोगकर्ता विभाग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यथासमय दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया जाएगा।

आदेशानुसार  
क्षेत्रीय निदेशक  
कर्मचारी चयन आयोग (पूर्वी क्षेत्र)